मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 19 / 12/2022

क्र. एफ 16-42/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स मराल ओवरसीज लिमिटेड द्वारा मराल सरोवर, ए.बी. रोड, निमरानी, जिला खरगोन में रूपये 200.90 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से विद्यमान टेक्सटाईल इकाई में विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2202120001) पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जायें-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अंतर्गत यंत्र, संयंत्र तथा भवन में किए गए निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट यदि कोई हो तो, के अतिरक्ति होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जायेगी।

3. **विद्युत शुल्क से छूट**- परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क की छूट प्रदान की जाये।

4. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति**- परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से प्रथम 5 वर्षों में नियुक्त किए गए मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु रूपये 13,000/- प्रति कर्मचारी की दर से, अधिकतम सीमा रू. 01.00 करोड़ तक, की प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान की जाये।

5. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2022) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर ....

पृ. क्र. एफ 16-42/2022/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 19/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला - खरगोन।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स मराल ओवरसीज लिमिटेड, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida – 201301 (NCR-Delhi), India.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग